

Contact Details of District Judgeship Level Committee for Revision of various allowances pertaining to service/retired Judicial Officers as recommended by Second Judicial Pay Commission in compliance of letter no. 1220/IV-F-82/Allahabad dated: 27.01.2024

S No.	Name of Officers	Mobile No.	Email Id.
1.	Smt. Aparna Pandey, Addl. District Judge, Court No. 11, Meerut. - <i>Nodal officer</i>	9412783802	aparnapand@gmail.com
2.	Sri Dharendra Singh, Addl. District Judge, Court No. 14, Meerut.	9412783807	salmond008@gmail.com
3.	Sri Anurag Singh, Civil Judge (Sr. Div.)/F.T.C. Meerut.	9412783850	anurag.s.alig@gmail.com

Prepared by:

Anurag Singh
30/01/24

Rajmangal Singh
31/01/24

(Rajmangal Singh Yadav)
Nodal Officer (Computers),
District Court, Meerut.

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

आदेश संख्या: 46

दिनांक: 29.01.2024

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1220/चतुर्थ-एफ-82/इलाहाबाद दिनांकित 27.01.2024 के माध्यम से द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पैटीशन (सिविल) संख्या-643/2015 आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांकित 04.01.2024 के अनुपालन में कार्यरत एवं सेवारत न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जिला जजशिप स्तर पर कार्यरत/सेवारत न्यायिक अधिकारीगण के भत्तों, बकाया, सेवानिवृत्ति लाभ के वितरण एवं इस सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः माननीय न्यायालयों द्वारा निर्गत किये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी, लेखा विभाग, जनपद न्यायालय, मेरठ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री धीरेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-14, मेरठ तथा श्री अनुराग सिंह, सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायालय, मेरठ को नोडल अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है। उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे जिला जजशिप स्तर पर कार्यरत/सेवारत न्यायिक अधिकारीगण तथा न्यायिक अधिकारीगण के फ़ैमिली पेशनरों के भत्तों, बकाया, सेवानिवृत्ति लाभ के वितरण एवं इस सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारियों की समस्याओं का निवारण करेंगे। माननीय सर्वोच्च द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में नोडल अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है वह जिला जजशिप के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों एवं पारिवारिक पेशनरों का विवरण तैयार करेंगे तथा उक्त विवरण कम से कम तीन माह के अन्दर अपडेट करते रहेंगे तथा उसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र के बिन्दू संख्या-04 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

सभी सम्बन्धित को अवगत कराया जाये। आदेश की एक प्रति सभी न्यायिक अधिकारीगण के मध्य परिचालित की जाये।

Rajin
29/01/24

(रजत सिंह जैन)

जिला न्यायाधीश,

मेरठ।